



2026:AHC:129062

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 20038 वर्ष 2026

कामता प्रसाद मौर्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता :गौरव तिवारी, किफायत अली

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता :जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान एजीए को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 0194 वर्ष 2026 में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2)/3(5), 317(4)/3(5), 317(5)/3(5) (भारतीय दण्ड संहिता की समतुल्य धारा 411/34, 413/34 एवं 414/34) के अंतर्गत, थाना-कर्वी कोतवाली, जनपद-चित्रकूट से संबंधित प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध पाँच आपराधिक मामलों का इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना-पत्र के अनुच्छेद संख्या 8 में दिया गया है। आवेदक दिनांक 11.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम अंकित नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम सह-अभियुक्त के स्वीकारोक्ति कथन में प्रकाश में आया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपराध के किए जाने में आवेदक की संलिप्तता स्थापित करने हेतु अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक जमानत पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहा किए जाने का अधिकारी है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. विद्वान एजीए ने आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, दण्ड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा वाद के गुण-दोषों पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इस विचार पर पहुँचा हूँ कि आवेदक ने जमानत प्राप्त करने हेतु प्रथम दृष्टया आधार स्थापित कर दिया है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त **आवेदक-कामता प्रसाद मौर्य** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी अपराध को, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके लिए जाने का उस पर संदेह है, न तो स्वयं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए, अथवा साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु वाद नियत होगा और गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (इसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (इसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (इसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 209) के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक निम्नलिखित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (1) वाद के प्रारंभ (2) आरोप निर्धारण के समय तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (इसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351) के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का यह एक आधार होगा।

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I)

24 जून, 2026

संजीत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।